न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 144/2022 बउनवानी सुरजमल गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास स.मा. पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी खारे कुए के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/ 239

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. ख0न0 4551/4874 जो कि माया देवी, गौरा देवी ने अपने कब्जे मे काश्त कर रही है तथा ख0न0 4551/4874 को 90ए के लिय नक्शे में दर्शाया गया है जबकि यह खसरा चरागाह है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक प.()नविन्या/सू.का.अ./2022/1309 दिनांक 28.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में न्यायालय मे जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलान्ट को पृष्ठांकन क्रमांक 1310 दिनांक 28.11.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि ख0न0 4551/4874 की भूमि श्रीमति माया देवी एवं गौरा देवी द्वारा 90 ए के लिए प्रस्तुत मानचित्र मे नही दर्शायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना, सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1310 दिनांक 28.11.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि ख0न0 4551/4874 की भूमि श्रीमति माया देवी एवं गौरा देवी द्वारा 90 ए के लिए प्रस्तुत मानचित्र मे नही दर्शायी गयी है। अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए [illegible] अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर[illegible]खिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:41:20 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर